



**THE  
JHARKHAND GAZETTE  
EXTRAORDINARY  
PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

**11 JYESHTH 1948 (S)**

---

**No. 293**

**RANCHI MONDAY 1<sup>st</sup> JUNE, 2026**

---

**DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY**

-----

**NOTIFICATION**

**3<sup>rd</sup> October, 2023**

**Letter No. 11@fofo/k&12&03@2023-2662--**

S.O.....(E).\_Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity,

And whereas, the Department of School Education & Literacy, Government of Jharkhand (hereinafter referred to as the Department) is administering the “Stipend to additional Girls studying in KGBVs” (hereinafter referred to as the Scheme) to additional girls studying in Class VI-XII in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs) under additional seats sanctioned by State Government of which is being implemented through the Jharkhand Education Project Council-JEPC (hereinafter referred to as the implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, Stipend (hereinafter referred to as the benefit) is given to additional girls studying in Class VI-XII in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas(KGBVs) under additional seats sanctioned by State Government(hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Jharkhand;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act.) the government of Jharkhand hereby notifies the following, namely:-

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians. Before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment center (list available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) to get enrolled

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016. The Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the department through its implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child, the benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:-

- (a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and
- (b) Any one of the following documents. Namely-
  - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
  - (ii) School identity card, duly signed by the principal of the school, containing parents' names; and
- (c) Any one of the following document's as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-
  - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
  - (ii) Ration Card; or
  - (iii) Ex-servicemen contributory Health scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card, or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or
  - (iv) Pension Card; or
  - (v) Army Canteen Card; or
  - (vi) Any Government family Entitlement Card; or
  - (vii) Any other document as specified any the Department;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted namely:-
  - (a) In case of poor fingerprint quality, integrated Risk information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the department through its Implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner:
  - (b) In case the biometric authentication through fingerprints or integrated Risk information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
  - (c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of subparagraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its implementing Agency.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By order of the Governor of Jharkhand

**(K Ravi Kumar),**

Secretary

Department of School Education & Literacy,  
Govt. of Jharkhand

## स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

### अधिसूचना

**ज्ञापांक : 11/विविध-12-03/2023-2662--**

एस.ओ.....(ई).\_जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को उनके अधिकारों को सीधे एक सुविधाजनक तरीके से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके इसे सहज तरीके से उपलब्ध करता है,

और जबकि, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार (इसके बाद विभाग के रूप में संदर्भित) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) में VI-XII कक्षा में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त सीटों के तहत पढ़ने वाली अतिरिक्त लड़कियों को "के.जी.बी.वी. में पढ़ने वाली अतिरिक्त छात्राओं को वृत्ति" (इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) का संचालन कर रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद-जेईपीसी (इसके बाद कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और जबकि, योजना के तहत, मौजूदा योजना दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) में VI-XII कक्षा में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त सीटों के तहत पढ़ने वाली अतिरिक्त लड़कियों (इसके बाद लाभार्थियों के रूप में संदर्भित) को वृत्ति (इसके बाद लाभ के रूप में संदर्भित) दी जाती है;

और जबकि उक्त योजना में झारखण्ड की संचित निधि से किया गया आवर्तीव्यय शामिल है;

इसलिए, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में झारखंड सरकार एतद द्वारा अधिसूचित करती है। निम्नलिखित, अर्थात्: -

1. (1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक बच्चे को आधार संख्या रखने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरने का प्रमाण देना होगा।
- (2) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बच्चे, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट [www.uidai.gov](http://www.uidai.gov) पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं। में) नामांकित होने के लिए
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार। विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और आधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित नामांकन केंद्र, विभाग

अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक बच्चे को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक ऐसे बच्चों को योजना के तहत लाभ निम्नलिखित दस्तावेजों के उत्पादन के अधीन दिया जाएगा, अर्थात्: -

(ए) यदि बच्चे को पांच वर्ष की आयु (बायो मेट्रिक संग्रह के साथ) प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मेट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची; और

(बी) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक। अर्थात्

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम हों; और

(सी) मौजूदा योजना दिशा निर्देशों के अनुसार माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ लाभार्थी के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्: -

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) कार्ड, या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि किसी विभाग में निर्दिष्ट किया गया है;

बशर्ते कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजनान्तर्गत हित ग्राहियों को सुविधानुसार लाभ उपलब्ध कराने हेतु विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा कि मीडिया के माध्यम से हितग्राहियों को उक्त आवश्यकता से अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा:

(ए) खराब फिंगर प्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर या चेहरा प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा। लाभ के निर्बाध तरीके से वितरण के लिए:

(बी) उंगलियों के निशान या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव

हो और आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य है। होना, पेश किया जाएगा;

- (सी) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत आधार पत्र पर लाभ दिया जा सकता है और त्वरित प्रतिक्रिया को डरीडर की आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जाएगी। विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर।
4. यहां ऊपर निहित कुछ भी होने के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने या ऐसे बच्चे के मामले में, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, योजना के तहत लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। नामांकन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए सौंपा गया है। पैरा 1 के उप-पैराग्राफ (3) के परंतुक के खंड (बी) और (सी) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करके उसे लाभ दिया जाएगा, और जहां आधार पर लाभ दिया जाता है ऐसे अन्य दस्तावेजों के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसे दर्ज करने के लिए विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।
5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(के रवि कुमार),  
सचिव  
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग,  
झारखंड रांची।

-----